

भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3812  
(दिनांक 21.12.2021 को उत्तर देने के लिए)

**क्षेत्रीय फीचर फिल्मों का प्रसारण**

**3812. श्री सी. लालरोसांगा:**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या दूरदर्शन के फिल्म प्रभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने दो/तीन साल पहले गुवाहाटी का दौरा किया था और पूर्वोत्तर के विभिन्न दूरदर्शन चैनलों में क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के प्रसारण के संबंध में विभिन्न फीचर फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक की थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक के बाद क्या कार्रवाई शुरू की गई है;
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के राजधानी स्टेशनों के विभिन्न टेप लाइब्रेरियों में उपलब्ध बी.सी.एन. फॉर्मेट, यू-मैटिक फॉर्मेट, बीटाकैम फॉर्मेट, डी.वी.सी. प्रो फॉर्मेट में क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है और संख्या कितनी है; और
- (घ) प्रसार भारती द्वारा कार्यक्रमों को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करने और इन फीचर फिल्मों को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का दूरदर्शन केंद्र-वार ब्यौरा क्या है और ये कार्यक्रम कौन-कौन से हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री  
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। प्रसार भारती सामग्री संबंधी नीतियों के लिए जानकारियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न हितधारियों के साथ परामर्श करता है। तदनुसार, जानकारियां प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी में 20.09.2019 को एक ओपन हाउस बैठक आयोजित की गई।

भारत में सभी क्षेत्रीय यूनिटों से प्राप्त जानकारियों और फीडबैक के आधार पर, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा 17.06.2021 को आयोजित इसकी 167वीं बैठक में एक निर्णय लिया गया था। प्रसार भारती ने तदनुसार क्षेत्रीय और पुरस्कार विजेता फिल्मों सहित विभिन्न श्रेणियों की फीचर फिल्में खरीदने के लिए 12.11.2021 की अधिसूचना सं. 03/2021-ओपीएस द्वारा "निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर प्रसार भारती प्लेटफार्मों के लिए फीचर फिल्मों के प्रापण संबंधी नीति-2021" नामक एक व्यापक फिल्म नीति अधिसूचित की है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, पूर्वोत्तर स्टेशनों में किसी भी प्रारूप में वैध अधिकारों/लाइसेंसों के साथ किसी तरह के कॉपीराइट प्राप्त अथवा लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रीय फिल्म उपलब्ध नहीं हैं। प्रसार भारती ने भी किसी तरह की क्षेत्रीय फिल्म का निर्माण नहीं किया है अथवा इसका स्वामित्व प्राप्त नहीं किया है और इस प्रकार, इसके पास इसके अधिकार नहीं हैं।

\*\*\*\*\*